[2022] 19 एस. सी. आर. 1094

गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

वी.

महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) और ए. एन. आर.

(2022 की सिविल अपील संख्या 8008)

31 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई और बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 37 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम)

क्या एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 के प्रावधानों का प्रभाव मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर हावी होगा? आयोजित किया गयाः हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में से एक लैटिन उक्ति "लेगेस पोस्टरियर्स प्रायोरस कंट्रेरियास निरस्त" में निहित है (बाद के कानून पहले के विपरीत कानूनों को निरस्त कर देंगे)-निर्माण का एक और प्रासंगिक नियम उक्ति "जनरलिया स्पेशियलीबस नॉन डिमेनटेंट" (सामान्य कानून विशेष कानूनों पर प्रबल नहीं होते हैं) में निहित है-जब दो कानूनों के बीच स्पष्ट संघर्ष होता है, तो एक सामान्य क़ानून के प्रावधानों को एक विशेष कानून के प्रावधानों को स्वीकार करना चाहिए-एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 एक विशेष कानून होने के नाते और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 एक सामान्य कानून होने के नाते, एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों को मध्यस्थता अधिनियम पर प्राथमिकता होगी-यह तय कानूनी स्थिति है कि पक्षों के बीच किए गए किसी भी समझौते को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 37-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम)

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा का संदर्भ देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत परिषद, यदि पक्षों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता मौजूद था

1094 गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी. महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (इकाई 2)

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 में अनुध्यात? आयोजित किया गयाः यह कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 17 के तहत आने वाले विवाद का कोई भी पक्षकार इसकी धारा 18 (1) के तहत सुविधा परिषद को निर्देश देने से वंचित नहीं होगा, केवल इसलिए कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (1) एक सक्षम प्रावधान है जो पक्षकार को इसकी धारा 17 के तहत आने वाले विवाद के लिए, पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के बावजूद सुविधा परिषद से संपर्क करने का विकल्प देता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 37 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम)

क्या सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद, स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद को उठा सकती है और एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकती है, जब परिषद ने स्वयं सुलह की कार्यवाही का संचालन किया था मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 80 में निहित बाधा को देखते हुए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत? आयोजित किया गयाः सकारात्मक रूप से-मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 38

इसमें एक बाधा है कि सुलहकर्ता किसी विवाद के संबंध में किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा जो सुलह कार्यवाही का विषय है, उक्त बार एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 24 के साथ पठित धारा 18 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान सुविधा परिषद द्वारा धारा के तहत सुलह की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही सुविधा परिषद द्वारा संचालित कार्यवाही पर लागू होंगे।

18 (2) यह विफल हो जाता है और परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाती है या इसे किसी संस्थान या केंद्र को ऐसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित करती है जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत विचार किया गया है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इन अपीलों में शामिल पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या संविधान के अध्याय 5 में निहित प्रावधान

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निहित प्रावधान, विशेष रूप से जब पक्षकार मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में विचार किए गए एक स्वतंत्र समझौते के निष्पादन द्वारा क्या उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने पर सहमति हुई थी? दूसरे शब्दों में, क्या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अध्याय V में निहित प्रावधानों का प्रभाव [2022] 19 एस. सी. आर. होगा।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निहित प्रावधानों को ओवरराइड करना? [पैरा 16] [1120-जी; 1121-ए-बी]

1.2 प्रासंगिक वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में से एक

हमारे उद्देश्य के लिए लैटिन उक्ति "लेजेस पोस्टरियर्स प्रायोरस कॉन्ट्रेरियास निरस्त" (बाद के कानून पहले के विपरीत कानूनों को निरस्त कर देंगे) में निहित है। निर्माण का एक अन्य प्रासंगिक नियम उक्ति "सामान्य विशेषज्ञता गैर अपमानजनक" (सामान्य कानून विशेष कानूनों पर प्रबल नहीं होते हैं) में निहित है। जब दो कानूनों के बीच स्पष्ट संघर्ष होता है, तो एक सामान्य क़ानून के प्रावधान एक विशेष क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। [पैरा 18] [1121-ई]

1.3 उद्देश्य, इरादे और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की योजना और उसके अध्याय-5 में उपयोग की गई स्पष्ट अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं सामने आती हैं:

अध्याय-V "पार्टी-विशिष्ट" है, जितना कि पार्टी में

आई.

यानी धारा 2 (डी) और 2 (एन) में परिभाषित 'खरीदार' और 'आपूर्तिकर्ता' क्रमशः इसके अंतर्गत आते हैं। उक्त अध्याय।

एक विशिष्ट प्रावधान बनाया गया है जिस पर दायित्व निर्धारित किया गया है

ii.

आपूर्ति की गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ता को देय राशि का भुगतान करने के लिए खरीदार

खरीदार को, साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व, यदि खरीदार भुगतान करने में विफल रहता है

निर्धारित समय सीमा। भुगतान करने के लिए उक्त दायित्व

चक्रवृद्धि ब्याज पार्टियों के बीच किसी भी समझौते या कुछ समय के लिए किसी भी कानून के बावजूद है।

बलपूर्वक।

एक समर्पित वैधानिक मंच अर्थात सूक्ष्म और लघु

iii.

उद्यम सुविधा परिषद धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में विवाद के लिए किसी भी पक्ष को ऐसी परिषद को संदर्भित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की गई है।

iv.

एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है

संदर्भ के बाद सुविधा परिषद

इसे विवाद के किसी भी पक्ष द्वारा बनाया जाता है।

गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी. महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (इकाई 2)

सुविधा परिषद या प्रदान करने वाले केंद्र

वी.

वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाओं को धारा 18 (4) के तहत मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है।

उस समय लागू किसी कानून में निहित कुछ भी, जिसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद है।

इसकी अधिकारिता। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान किए गए हैं।

vi.

सुलह के बाद ही विवाद पर लागू होता है उप-धारा (2) के तहत शुरू किया गया कार्य सफल नहीं होता है और दोनों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाता है।

पार्टियाँ।

vii. धारा 18 (4) (1) गैर-अवरोधक खंडों से शुरू होने का प्रभाव कुछ समय के लिए अन्य कानूनों पर हावी होता है।

बल देते हैं।

viii. धारा 24 के अनुसार, धारा 15 के प्रावधानों से

23 कुछ भी होने के बावजूद एक प्रभाव है

इसके लिए किसी अन्य कानून में निहित असंगत

समय बल में है। [पैरा 23] [1123-एफ-एच; 1124 ए-एफ]

1.4 इस प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 सामान्य रूप से

मध्यस्थता और सुलह का कानून, जबकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की विशिष्ट प्रकृति को नियंत्रित करता है, जिसे एक विशिष्ट मंच के माध्यम से एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करके हल किया जाना है। अतः, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006

एक विशेष कानून और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 होने के नाते एक सामान्य कानून होने के नाते, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के प्रावधानों को या तो अधिक प्राथमिकता होगी।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर प्रबल। [पैरा 25] [1125-डी]

1.5 प्रस्ताव पर कोई असहमति नहीं हो सकती है।

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून, जिन पर भरोसा किया गया था

खरीदारों के लिए विद्वान वकील कि न्यायालय को समझौते को पढ़ना होगा क्योंकि यह है और इसे फिर से नहीं लिख सकता है या एक नया नहीं बना सकता है, और यह कि एक मध्यस्थता समझौते के पक्षों को न केवल अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियात्मक कानून पर बल्कि मूल कानून पर भी निर्णय लेने की स्वायत्तता है, हालांकि, यह समान रूप से तय कानूनी स्थिति है कि पक्षों के बीच किए गए किसी भी समझौते को वैधानिक प्रावधानों पर प्रधानता नहीं दी जा सकती है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के आपूर्तिकर्ताओं को समय पर और सुचारू रूप से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए और अधिनियम के तहत पक्षों के बीच बकाया की वसूली के संबंध में विवाद को हल करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियम, यानी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 बनाया गया है। अतः यह निवेदन कि एक स्वतंत्र मध्यस्थता

मध्यस्थता के तहत पक्षों के बीच किया गया समझौता

अधिनियम, 2006 स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप-धारा (1) एक सक्षम प्रावधान है जो धारा 17 के तहत आने वाले विवाद का पक्षकार, मध्यस्थता के बावजूद सुविधा परिषद से संपर्क करने का विकल्प

पक्षों के बीच विद्यमान समझौता। उक्त प्रावधान में 'समझौता' शब्द की अनुपस्थिति का न तो यह अर्थ लगाया जा सकता है कि कानून में लापरवाही का मामला और न ही धारा 17 के तहत आने वाले विवाद में पक्षकार के खिलाफ छूट के रूप में समझा जाए।

सुविधा परिषद से संपर्क करें, इस आधार पर कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। वास्तव में, यह उक्त प्रावधान के तहत पार्टी के पक्ष में बनाया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 17 के तहत आने वाले विवाद के किसी भी पक्ष को उसकी धारा 18 (1) के तहत सुविधा परिषद को संदर्भित करने से केवल इसलिए रोका नहीं जाएगा क्योंकि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। [पैरा 28] [1127-बी-जी]

1.6 उपरोक्त कानूनी स्थिति खरीदारों के वकील की ओर से दिए गए तर्कों को भी खारिज करती है कि

सुविधा परिषद ने धारा के तहत सुलहकर्ता के रूप में कार्य किया है

18 (2) एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए नहीं ले सकता है और मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि यह सच है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 38 में एक बाधा है कि सुलहकर्ता किसी भी मध्यस्थता में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा।

किसी विवाद के संबंध में कार्यवाही जो सुलह कार्यवाही का विषय है, उक्त बार एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 24 के साथ पठित धारा 18 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया था, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 में निहित प्रावधानों का प्रभाव गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रावधानों पर पड़ता है।

वी. महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (इकाई 2)

मध्यस्थता अधिनियम, 1996। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान सुविधा परिषद द्वारा संचालित कार्यवाही पर तभी लागू होंगे जब धारा 18 (2) के तहत परिषद द्वारा शुरू की गई सुलह की प्रक्रिया विफल हो जाती है और परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाती है या इसे किसी संस्थान या संस्थान को संदर्भित करती है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत विचार किए गए मध्यस्थता के लिए केंद्र। [पैरा 29] [1127-एच; 1128-ए-सी]

1.7 जब सुविधा परिषद या संस्था या केंद्र एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो उसे संदर्भित विवादों पर निर्णय लेने की सभी शक्तियां होंगी जैसे कि ऐसा मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में था और फिर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के सभी अंश ऐसे मध्यस्थता पर लागू होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने वाली ऐसी सुविधा परिषद/संस्था/केंद्र भी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत नियुक्त किसी भी अन्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण की तरह अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम होगी, जैसा कि इसकी धारा 16 में विचार किया गया है। [पैरा 30] [1128-डी-ई]

1.8 उपरोक्त का परिणाम यह हैः

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 का अध्याय-5 इसके ऊपर होगा।

आई.

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान।

किसी भी देय राशि के संबंध में विवाद का कोई पक्ष नहीं

ii.

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद का संदर्भ देने से रोक दिया जाएगा, हालांकि दोनों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता मौजूद है।

पार्टियाँ।

सुविधा परिषद, जिसने शुरुआत की थी

iii.

मध्यस्थता अधिनियम।

सुविधा परिषद के समक्ष कार्यवाही /

iv.

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत एक मध्यस्थ/मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने वाला संस्थान/केंद्र मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुविधा परिषद/संस्थान/केंद्र के रूप में कार्य करना

वी.

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के आधार पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी निर्णय लेने में सक्षम होगा।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16।

एक पक्ष जो परिभाषा के अनुसार 'आपूर्तिकर्ता' नहीं था

vi.

अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख को एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 2 (एन) में निहित कोई भी मांग नहीं कर सकता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में लाभ। यदि बाद में कोई पंजीकरण प्राप्त किया जाता है तो इसका प्रभाव संभावित रूप से पड़ेगा और यह वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को प्रदान करने पर लागू होगा।

पंजीकरण के बाद। [पैरा 34] [1130-बी-जी]

एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 688; शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नागपुर बनाम स्वराज डेवलपर्स और

अन्य (2003) 6 एस. सी. सी. 659: [2003] 3 एस. सी. आर. 762; भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी

सर्विसेज (2012) 9 एस. सी. सी. 648; एंट्रिक्स कॉर्पोरेटन लिमिटेड बनाम। देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (2014) 11 एससीसी

560 [2013] 6 एस. सी. आर. 453; अमेज़न। कॉम एन. वी. निवेश होल्डिंग्स एलएलसी। वी. फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अन्य (2022) 1 एस. सी. सी. 209; उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम बनाम।

नरसिंह। नायक और अन्य (2003) 10 एस. सी. सी. 261; शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम। जैन स्टूडियो लिमिटेड (2006) 2 एस. सी. सी. 628: [2006] 1 एससीआर 933; शिल्पी इंडस्ट्रीज आदि। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और ए. एन. आर. 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 439; सिक्योर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। गोदरेज एंड बॉयस एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड और एन. आर. (2004) 3 एस. सी. सी. 447: [2004] 2 एससीआर 705; सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड बनाम। फेयरग्रोथ फाइनेंशियल

सर्विसेज लिमिटेड और अन्य (2001) 3 एस. सी. सी. 71: [2001] 1 एस. सी. आर. 932; मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम राम लाल और अन्य (2005) 2 एस. सी. सी. 638 [2005] 1 एस. सी. आर. 790; भारत संघ बनाम। प्रभाकरण विजय कुमार और अन्य (2008) 9 एस. सी. सी. 517; क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग। वी. हुगली मिल्स कं. लिमिटेड (2012) 2 एस. सी. सी. 489 [2012] 1 एस. सी. आर. 363; गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

वी. महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (इकाई 2)

आयकर आयुक्त, पटियाला बनाम। शहजादा नंद & पुत्र ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1342: [1966] 3 एससीआर 379;

कौशल्या रानी बनाम। गोपाल सिंह एयर 1964 एससी 260:

[1964] 4 एस. सी. आर. 982; के. प्रभाकरण बनाम। पी. जयराजन

(2005) 1 एससीसी 754: [2005] 1 एस. सी. आर. 296-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा3

[2003] 3 एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2013] 6 एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2006] 1 एससीआर 933

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2004] 2 एससीआर 705

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 एससीआर 932

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2005] 1 एससीआर 790

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[2012] 1 एससीआर 363

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

[1966] 3 एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1964] 4 एससीआर 982

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2005] 1 एससीआर 296

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8008

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 13.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की आर/प्रथम अपील No.3613 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार की।

के साथ सिविल अपील सं। 127 2018 का, 2013 का 6167,8009,8010,8011,

8012 2022 तक।

तुषार मेहता, एस. जी., बलबीर सिंह, ए. एस. जी., नकुल दीवान, रंजीत कुमार,

विनय नवारे, जी. उमापति, अतुल यशवंत चिताले, मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रशांत सिंह, सुश्री लिज़ मैथ्यू, कानू अग्रवाल, प्रताप वेणुगोपाल, अन्नम वेंकटेश, अमरीश कुमार, सुश्री आस्था मेहता, भार्गव पांड्या, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाडिया, संबित नंदा, सुश्री अनुष्का शाह, सुश्री प्रियंका राठी, सुश्री स्मृति कालरा, मुद्दम तिरुपति रेड्डी, विजय के. सिंह, सुश्री विजया सिंह, अभिषेक सिंह, प्रवर्तक पाठक, सुश्री ग्वेन कार्तिका, सुश्री आभा [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. शर्मा, अनूप जैन, उदित गुप्ता, अक्षय गोयल, मेसर्स। उदित किशन एंड एसोसिएट्स, सुश्री तन्वी काकर, सुश्री प्रथमेश कामत, सुश्री सुचित्रा अतुल चितले, सुनील कुमार जैन, सुश्री राशिका स्वरूप, मनीष कुमार सरन, सत्य प्रकाश शरण, अस्पी कपाडिया, सुश्री निधि मोहन पाराशर, विक्रांत कुमार, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अमित मेहरिया, सुश्री तनिष्ठा सिंह, अविनाश अग्रवाल, मैसर्स। मेहरिया एंड कंपनी, सत्यजीत ए. देसाई, सत्य काम शर्मा, सिद्धार्थ गौतम, हिमांशु शर्मा, सुश्री अनघा एस. देसाई, गौरव केजरीवाल, पंकज सिंघल, पवास अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, सुश्री आशा गोपालन नायर, सुश्री निवेदिता नायर, अरुण गोपालन नायर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. अपील करने की अनुमति एसएलपी (सी) संख्या. 12884/2020, एसएलपी (सी) संख्या. 31227/2018, एसएलपी (सी) संख्या. 7375/2020, एसएलपी (सी) संख्या. 2135/2021 और

एसएलपी (सी) सं. 6166/2021।

2. ये सभी सात अपीलें हालांकि तथ्यात्मक रूप से अलग हैं, लेकिन इनमें कानून के कुछ सामान्य प्रश्न शामिल हैं और इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई की गई।

3. प्रत्येक अपील में विवादित आदेशों की व्यापक रूपरेखा हो सकती है

निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया जाए:

2022 की सी. ए. संख्या (@एस. एल. पी. (सी) संख्या. 12884/2020)

(1)

अपीलार्थी गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (मूल याचिकाकर्ता) ने दिनांकित आदेश को चुनौती दी है।

13.11.2019 गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील सं. 3613/2019 में पारित किया गया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम, 1996" के रूप में संदर्भित) की धारा 37 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया है। उक्त प्रथम अपील में, अपीलार्थी ने दिनांकित आदेश को चुनौती दी थी

20.08.2018 वाणिज्यिक सिविल विविध मामले में वाणिज्यिक न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित। अनुभाग के साथ पठित मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन संख्या 54/2016

19 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

विकास अधिनियम, 2006 (इसके बाद "एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006" के रूप में संदर्भित), जिसके तहत वाणिज्यिक अदालत ने मध्य प्रदेश माइक्रो आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की थी।

वी. अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

और लघु उद्यम सुविधा परिषद, भोपाल में

संदर्भ सं। एन. एस. ई. एफ. सी. 442/2012 ने अभिनिर्धारित किया कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का प्रभाव प्रावधानों पर हावी था। मध्यस्थता अधिनियम और भोपाल में सुविधा परिषद के पास विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था

दलों के बीच। सी. ए. नं. 127/2018

अपीलार्थी एम/एस। रामकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (मूल प्रत्यर्थी संख्या 2) ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 27.06.2017 आदेश को चुनौती दी है

बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर, डब्ल्यू. पी. सं. 4435/2011 में, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद, नागपुर के पास अपीलार्थी द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 24/2010 पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश का पालन किया

इस्पात प्राधिकरण बनाम एमएसई सुविधा के मामले में निर्णय

परिषद ', जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सुविधा परिषद एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने का हकदार नहीं होगी जब पक्षों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता होता है।

27.08.2010 उच्च न्यायालय द्वारा पारित बॉम्बे, नागपुर बेंच, नागपुर, डब्ल्यू. पी. सं. 2145/2010 (ए. आई. आर. 2012 बम। 178) जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अनुमति दी है

उक्त याचिका में कहा गया है कि सुविधा परिषद, नागपुर, एक मध्यस्थता समझौते को देखते हुए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत आगे बढ़ने का हकदार नहीं था।

पक्षों के बीच निष्पादित। 2022 का सी. ए. (@एस. एल. पी. (सी) सं. 31227/2018)

अपीलार्थी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (मूल याचिकाकर्ता) ने दिनांकित 06.08.2018 के आदेश को चुनौती दी है। बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित, डब्ल्यू. पी.

ओम।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

नं. 5459/2015, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित करते हुए लिखित याचिका कि पक्षों के बीच स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते के बावजूद, प्रतिवादी सुविधा परिषद, ठाणे के पास संदर्भ पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था

उत्तरदाता नंबर 1 क्रुणाल इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा बनाया गया

(मूल उत्तरदाता संख्या। 3) की धारा 18 के तहत

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006, तथापि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी सुविधा परिषद ने स्वयं

मध्यस्थता अधिनियम, 1996। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश पक्षों के बीच विवादों को संदर्भित करने के लिए सुविधा परिषद

वैकल्पिक विवाद प्रदान करने वाली किसी भी संस्था या केंद्र को मध्यस्थता के लिए समाधान सेवाएँ।

2022 का सी. ए. (@एस. एल. पी. (सी) सं. 7375/2020)

अपीलार्थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ए. एन. आर.

(मूल याचिकाकर्ताओं) ने दिनांकित आदेश को चुनौती दी है

मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन किया और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत एक निर्णय पारित किया, पीड़ित पक्ष का उपाय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 का सहारा लेना होगा। उच्च न्यायालय ने भरोसा जताया कि एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग के मामले में अनुपात

Ltd.² जिसने उच्च न्यायालयों की प्रथा को अस्वीकार कर दिया

के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिकाओं का मनोरंजन करना

द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाला भारत का संविधान

मध्यस्थता न्यायाधिकरण।

2022 का सी. ए. (@एस. एल. पी. (सी) सं. 2135/2021)

अपीलार्थी भारतीय संघ (मूल अपीलार्थी) ने दिल्ली द्वारा पारित दिनांकित 23.08.2019 आदेश को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने एल. पी. ए. 42/2019 में, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त एल. पी. ए. को खारिज करते हुए कहा कि मध्यस्थता के बावजूद

पक्षों के बीच समझौते में खंड, यदि एम. एस. एम. ई. डी

2618 .

आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अधिनियम, 2006 पक्षकार पर लागू होता है, सुविधा परिषद के पास धारा 18 (3) के तहत किसी भी कार्य को करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

मामला स्वयं मध्यस्थता के लिए है या मामले को इसके लिए संदर्भित करता है

वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करने वाली किसी भी संस्था या केंद्र को मध्यस्थता। 2022 का सी. ए. (@एस. एल. पी. (सी) सं. 6166/2021)

अपीलार्थी जे. आई. टी. एफ. वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (मूल)

याचिकाकर्ता) ने 24.07.2020 दिनांकित आदेश को चुनौती दी है।

एल. पी. ए. 1667/2019 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त एल. पी. ए. को खारिज करते हुए और

एकल पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एम/एस। एक्वाफिल पॉलिमर कंपनी प्रा. लिमिटेड और मेसर्स। विनटेक इंजीनियरिंग प्रा. Ltd.being समाकलन

संयुक्त उद्यम का हिस्सा, संयुक्त उद्यम द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी अनुबंध लाभ के लिए और इसके घटकों/घटकों की ओर से एक अनुबंध होगा; और यह कि यदि संयुक्त उद्यम के घटकों में से एक (इस मामले में मेसर्स एक्वाफिल पॉलिमर) ने संयुक्त उद्यम की धारा 8 के तहत अपना ज्ञापन दायर किया था।

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है

आपूर्तिकर्ता, भले ही संयुक्त उद्यम ने ऐसा दायर नहीं किया था ज्ञापन। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि

उत्तरदाता नं। 2 एक्वाफिल पॉलिमर, जो आपूर्तिकर्ता था, ने धारा के तहत सुविधा परिषद में सही आवेदन किया था

18 (1) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 और यह कि सुविधा परिषद ने सुलह प्रक्रिया का संचालन किया है और उसी तरह विफल होने के बाद, सुविधा परिषद के पास कोई विकल्प नहीं था

छोड़ दिया लेकिन इसे प्रदान करने वाले संस्थान या केंद्र को संदर्भित करने के लिए

निष्पादन के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ

के प्रावधानों के अनुसार आगे का मामला मध्यस्थता अधिनियम, 1996।

पूर्व में बताए गए मामलों की पृष्ठभूमि, निम्नलिखित हैः

विचार के लिए कानून के निहितार्थ उत्पन्न होते हैंः

क्या एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 के प्रावधानों का प्रभाव इसके प्रावधानों पर हावी होगा

मध्यस्थता अधिनियम, 1996?

क्या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में विवाद का कोई पक्ष [2022] 19 एस. सी. आर. होगा।

उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को संदर्भित करने से वर्जित, यदि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 में विचार किए गए पक्षों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता मौजूद था?

(iii)

चाहे सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा

परिषद, स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद को उठा सकती थी और एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकती थी, जब परिषद ने स्वयं संचालन किया था

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 80 में निहित बाधा को ध्यान में रखते हुए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत सुलह की कार्यवाही?

5. कानून के ऊपर बताए गए प्रश्नों पर ध्यान देने से पहले, विधायी इतिहास और उद्देश्यों पर एक नज़र डालना फायदेमंद होगा।

कारण और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधान भी। जहाँ तक एमएसएमईडी के विधायी इतिहास की बात है

अधिनियम, 2006 का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि लघु, लघु और मध्यम स्तर के औद्योगिक उपक्रमों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए, "लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993" (जिसे इसके बाद "विलंबित भुगतान अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। उक्त अधिनियम का उद्देश्य लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान और विनियमन करना था। यद्यपि विलंबित भुगतान अधिनियम की धारा 4 और 5 ने राशि की वसूली और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के प्रावधान किए और इसकी धारा 10 ने उस समय लागू अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के प्रभाव के लिए प्रावधान किया, लेकिन इसमें किसी भी विवाद समाधान तंत्र का प्रावधान नहीं किया गया।

जिसे एक छोटा उद्यम अपने उपायों का लाभ उठा सकता है। इसलिए, छोटे उद्यमों को अपने बकाया की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना था या मध्यस्थता समझौते में निहित संविदात्मक शर्तों का पालन करना था। द. भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विभाग और आर्गो और ग्रामीण उद्योग विभाग ने तत्कालीन मौजूदा नीतियों में सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए और लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए नई नीतियों को तैयार करने के लिए दिनांक 1 के आदेश के अनुसार "छोटे उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति" का गठन किया। समिति ने लघु उद्योगों को बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए कड़े प्रावधानों को शामिल करने के लिए एक अधिनियम बनाने की सिफारिश की। यह

इसके बाद अगस्त, 2005 में लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 लाया गया। उक्त विधेयक को संसदीय गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को भेजा गया था।

वी.

महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

उद्योग पर स्थायी समिति, जिसने 2005 के उक्त विधेयक पर अपनी 176 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति की सिफारिशों का अंत एम. एस. एम. ई. डी. विधेयक में हुआ, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता थाः वस्तुएँः -

लघु और मध्यम उद्यमों को समय पर और सुचारू रूप से ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना ताकि कम से कम

के बीच बीमारी की घटना और बढ़ाना

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता;

विलंबित ब्याज में और सुधार करें

आई.

लघु और सहायक उद्योगों को भुगतान उपक्रम अधिनियम, 1993 और उस अधिनियम को प्रस्तावित विधान का हिस्सा बनाना और उस अधिनियम को निरस्त करना।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। अधिनियम को छह अध्यायों में विभाजित किया गया है, और अध्याय-V सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान से संबंधित है। 7. एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 में निहित कुछ परिभाषाएँ और प्रावधान इन अपीलों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं

यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

" 2.परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

(ए)।

(ख) "नियत दिन" से आपूर्तिकर्ता से किसी खरीदार द्वारा किसी वस्तु या किसी सेवा की स्वीकृति के दिन से पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद का दिन अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

((i) "स्वीकृति का दिन" का अर्थ है -

(ए) माल की वास्तविक डिलीवरी या रेंडरिंग का दिन

(ख) जहाँ खरीदार द्वारा लिखित रूप में कोई आपत्ति की जाती है।

पंद्रह दिनों के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की स्वीकृति के संबंध में माल की डिलीवरी या रेंडरिंग के दिन से

सेवाएँ, जिस दिन आपूर्तिकर्ता द्वारा इस तरह की आपत्ति को हटा दिया जाता है;

((ख) "मानित स्वीकृति के दिन" का अर्थ है, जहां माल की डिलीवरी या सेवाओं के प्रदान करने के दिन से पंद्रह दिनों के भीतर माल या सेवाओं की स्वीकृति के संबंध में खरीदार द्वारा लिखित रूप में कोई आपत्ति नहीं की जाती है, माल की वास्तविक डिलीवरी या सेवाओं के प्रदान करने के दिन;

(सी)।

(घ) "खरीदार" का अर्थ है जो कोई भी वस्तु खरीदता है या किसी आपूर्तिकर्ता से कोई सेवा प्राप्त करता है।

(ई)।

(च)।

(जी)।

(जे)। (के)।

(1) .....

((घ) "लघु उद्यम" से निम्नानुसार वर्गीकृत उद्यम अभिप्रेत है - खंड (ए) के उपखंड (ii) या धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (ii);

(एन) "आपूर्तिकर्ता" से एक सूक्ष्म या लघु उद्यम अभिप्रेत है, जिसने धारा 8 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ एक ज्ञापन दायर किया है, और इसमें शामिल हैं -

(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, एक कंपनी होने के नाते,

((ii) किसी राज्य का लघु उद्योग विकास निगम या केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, एक कंपनी होने के नाते

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत; जे. ए. आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी. काली फूड पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

((ग) कोई भी कंपनी, सहकारी समिति, न्यास या निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाए, किसी भी कानून के तहत पंजीकृत या गठित हो।

कुछ समय के लिए लागू और माल बेचने में लगे हुए

सूक्ष्म या लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और ऐसे उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रदान करना;

सूक्ष्म, अखिल और मध्यम उद्यमों के ज्ञापन को दाखिल करने से संबंधित अधिनियम 8 (1) निम्नानुसार हैः - 1) कोई भी व्यक्ति जो स्थापित करना चाहता है, -

(क) एक सूक्ष्म या लघु उद्यम, अपने विवेक पर; या (ख) सेवाएँ प्रदान करने या प्रदान करने में लगा एक मध्यम उद्यम, अपने विवेक पर; या

(ग) निर्माण में लगा हुआ एक मध्यम उद्यम या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन,

सूक्ष्म, लघु या, जैसा भी मामला हो, मध्यम उद्यम का ज्ञापन ऐसे प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा जो निर्दिष्ट किया जाए।

उप-धारा (4) या केंद्रीय के तहत राज्य सरकार द्वारा

उप-धारा (3) के तहत सरकारः

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले,

(क) एक लघु उद्योग और एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया, अपने विवेक पर; और

पूर्ववर्ती उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) संख्या एस. ओ. 477 (ई), दिनांक 25 जुलाई, 1991 ने एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किया, जिसके अंतर्गत - इस अधिनियम के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन बाद, प्रावधानों के अनुसार ज्ञापन दाखिल करें।

इस अधिनियम का।

"[2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 का अध्याय-5

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय भुगतान में धारा 15 शामिल है।

जिनमें से धारा 15 से 20 और 24 प्रासंगिक होने के कारण पुनः प्रस्तुत की गई हैं।

नीचे एनः

" 15.भुगतान करने के लिए खरीदार की देयता। —जहाँ कोई आपूर्तिकर्ता

किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है या किसी भी खरीदार, खरीदार को कोई सेवा प्रदान करता है।

इसके लिए सहमति की तारीख को या उससे पहले भुगतान करेगा। उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में या जहां कोई नहीं है

किसी भी मामले में आपूर्तिकर्ता और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमत अवधि लिखित रूप में खरीदार उस दिन से पैंतालीस दिनों से अधिक समय तक रहेगा।

स्वीकृति या मानी गई स्वीकृति का दिन। 16. किस तारीख और किस दर पर ब्याज देय है।

जहाँ कोई खरीदार राशि का भुगतान करने में विफल रहता है

आपूर्तिकर्ता, धारा 15 के तहत आवश्यकतानुसार, खरीदार - के बीच किसी भी समझौते में निहित कुछ भी होने के बावजूद

खरीदार और आपूर्तिकर्ता या किसी भी कानून में

मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना

नियत दिन से उस राशि पर या, जैसा भी मामला हो, आपूर्तिकर्ता

हो सकता है, सहमति की तारीख के तुरंत बाद की तारीख से,

रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर।

17. देय राशि की वसूली। —आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु के लिए या

आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, खरीदार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

धारा 16 के अधीन यथा उपबंधित उस पर ब्याज सहित राशि।

18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा का संदर्भ

परिषद।

(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, विवाद का कोई भी पक्ष, धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को निर्देश दे सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत निर्देश प्राप्त होने पर, परिषद या तो स्वयं मामले में सुलह करेगी या ऐसी संस्था का संदर्भ देकर वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान या केंद्र की सहायता

या केंद्र, सुलह करने और के प्रावधानों के लिए

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की धारा 65 से 81।

वी. हाक्कली फूड पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

(26 1996 का) ऐसे विवाद पर लागू होगा जैसे कि सुलह

उस अधिनियम के भाग III के तहत शुरू किया गया था।

(3) जहां उप-धारा (2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है और बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाता है।

पक्षकारों के बीच, परिषद या तो स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद उठाएगी या इसे किसी संस्था या केंद्र को भेजेगी। ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करना

मध्यस्थता और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान तब विवाद पर ऐसे लागू होंगे जैसे -

मध्यस्थता एक मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी

उस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट। (4) किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

वर्तमान में लागू सूक्ष्म और लघु उद्यम

सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद प्रदान करने वाला केंद्र

समाधान सेवाओं को आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद में इस धारा के तहत मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

इसके अधिकार क्षेत्र में स्थित और कहीं भी स्थित एक खरीदार

भारत।

(5) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक संदर्भ का निर्णय ऐसा करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। संदर्भ।

19. डिक्री, पुरस्कार या आदेश को अलग करने के लिए आवेदन-परिषद द्वारा या किसी भी संस्था या केंद्र द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान सेवा प्रदान करने वाले किसी भी डिक्री, पुरस्कार या अन्य आदेश को अलग करने के लिए कोई आवेदन नहीं।

परिषद द्वारा किया गया है, किसी भी अदालत द्वारा तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (आपूर्तिकर्ता नहीं होने के नाते) ने इसके साथ पचहत्तर प्रतिशत जमा नहीं किया है। डिक्री, अधिनिर्णय या, जैसा भी मामला हो, ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से अन्य आदेश के संदर्भ में राशिः बशर्ते कि डिक्री, पुरस्कार या आदेश को दरकिनार करने के लिए आवेदन के निपटारे तक, अदालत आदेश देगी कि

जमा की गई राशि का प्रतिशत आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा, जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है, ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह लागू करने के लिए आवश्यक समझता है।

सुविधा परिषद। राज्य सरकार, द्वारा अधिसूचना, एक या अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित करें [2022] 19 एस. सी. आर.

ऐसे स्थानों पर ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने वाली सुविधा परिषदें

और ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

21 .....

22 .....

23 .....

24. प्रबलित प्रभाव। धारा 15 से 23 के प्रावधान

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इसके साथ असंगत किसी बात के होते हुए भी इसका प्रभाव होगा।

9. जहाँ तक मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का संबंध है, इसका विधेयक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को ध्यान में रखते हुए है।

(UNCITRAL) मॉडल कानून और नियम, अन्य उद्देश्यों के बीच निम्नलिखित को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं: -

अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक रूप से व्यापक रूप से शामिल करना

मध्यस्थता और सुलह और साथ ही घरेलू मध्यस्थता और

सुलह;

विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थता, सुलह या अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अनुमति देना;

यह उपबंध करने के लिए कि सुलह कार्यवाही के परिणामस्वरूप पक्षों द्वारा किए गए निपटान समझौते की स्थिति और प्रभाव मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत विवाद के सार पर सहमत शर्तों पर मध्यस्थता पुरस्कार के समान होगा।

10. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मध्यस्थता और सुलह विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई

16 अगस्त 1996 में, और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के रूप में संविधि पुस्तक में आया। यह 22.08.1996 पर लागू हुआ। अधिनियम के लंबे शीर्षक के अनुसार, उक्त अधिनियम को घरेलू मध्यस्थता से संबंधित कानून को समेकित करने और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रवर्तन

सुलह से संबंधित कानून और उससे जुड़े और उससे आनुषंगिक मामलों को भी परिभाषित करना। इस अधिनियम को पाँच भागों में विभाजित किया गया है।

भाग-I मध्यस्थता से संबंधित है, भाग-I भारतीय मध्यस्थता परिषद से, भाग-II कुछ विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से, भाग-III सुलह से और भाग-IV पूरक प्रावधानों से संबंधित है।

गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी. हाक्कली फूड पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

11. अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

तैयार संदर्भ के लिएः -

धारा 2 (1) (बी) "मध्यस्थता समझौते" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है

धारा 7 में निर्दिष्ट समझौता।

धारा 2 (4) निम्नानुसार हैः

" (4) धारा 40 की उप-धारा (1), धारा 41 और 43 को छोड़कर यह भाग किसी अन्य अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्यस्थता पर लागू होगा। उस समय लागू होने के लिए, जैसे कि मध्यस्थता के अनुसार थे

एक मध्यस्थता समझौता और जैसे कि अन्य अधिनियम एक थे

मध्यस्थता समझौता, जहाँ तक इसके प्रावधानों को छोड़कर

भाग उस अन्य अधिनियम या किसी भी नियम के साथ असंगत हैं।

धारा 7 निम्नानुसार हैः " 7. मध्यस्थता समझौता।

(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है एक समझौता। पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं

एक परिभाषित कानूनी संबंध, चाहे संविदात्मक हो या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। (3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज;

इलेक्ट्रॉनिक साधन जो समझौते का अभिलेख प्रदान करते हैं; या

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें एक पक्ष द्वारा समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है और

दूसरे ने इनकार नहीं किया।

(5) एक दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ जिसमें एक

मध्यस्थता खंड एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि

अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि

मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा है। "[2022] 19 एस. सी. आर.

जहां मध्यस्थता समझौता है, वहां मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने की न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित धारा 8 (1) निम्नानुसार हैः

" 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां मध्यस्थता समझौता है।

(1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख के बाद लागू नहीं होता है, तो, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करेगा जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है।

मौजूद है "।

अध्याय-IV माध्यस्थम न्यायाधिकरणों की अधिकारिता से संबंधित है।

धारा 16 निम्नानुसार हैः

" 16. माध्यस्थम न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने की क्षमता।

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें शामिल हैं -

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय लेना और उस उद्देश्य के लिए -

(क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा -

अनुबंध; और

(ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा। खंड।

(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा; हालाँकि, एक पक्ष को केवल इस कारण से ऐसी याचिका उठाने से रोका नहीं जाएगा कि उसने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।

(3) एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है, जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अपने अधिकार के दायरे से बाहर का मामला उठाया जाता है, उठाया जाएगा।

गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी. हाक्कली फूड पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

(4) मध्यस्थता न्यायाधिकरण, में निर्दिष्ट मामलों में से किसी में भी हो सकता है

उप-धारा (2) या उप-धारा (3), यदि वह विलंब को उचित समझती है तो बाद की याचिका स्वीकार करें।

(5) मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपखंड में निर्दिष्ट याचिका पर निर्णय लेगा। धारा (2) या उप-धारा (3) और, जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण याचिका को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखता है और मध्यस्थता पुरस्कार देता है।

धारा 34 "के साथ। मध्यस्थता कार्यवाही के प्रारंभ से संबंधित धारा 21 निम्नानुसार हैः

" 21. मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत। -जब तक कि

पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है।

न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित धारा 42 निम्नानुसार हैः " 42. क्षेत्राधिकार। —इस भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कहीं और किसी बात के होते हुए भी, जहां इस भाग के अधीन मध्यस्थता समझौते के संबंध में कोई आवेदन किसी न्यायालय में किया गया है, अकेले उस न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही और उस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकारिता होगी और मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएगी।

सीमाओं से संबंधित धारा 43 निम्नानुसार हैः " 43. सीमाएँ। (1) सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) मध्यस्थताओं पर वैसा ही लागू होगा जैसा वह न्यायालय की कार्यवाहियों पर लागू होता है।

(2) इस धारा और सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रयोजनों के लिए, एक मध्यस्थता धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि को शुरू हुई मानी जाएगी। (3) जहां मध्यस्थता के लिए भविष्य के विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि कोई भी दावा जिस पर समझौता लागू होता है [2022] 19 एस. सी. आर.

जब तक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है तब तक प्रतिबंधित किया जाएगा। समझौते द्वारा निर्धारित समय के भीतर लिया जाता है, और एक विवाद उत्पन्न होता है

जिस पर समझौता लागू होता है, न्यायालय, यदि यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित कठिनाई अन्यथा होगी कारण होगा, और इसके बावजूद कि इस प्रकार निर्धारित समय समाप्त हो गया है,

ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, मामले के न्याय की आवश्यकता हो, ऐसी अवधि के लिए समय बढ़ा सकता है जो वह उचित समझता है।

(4) जहाँ न्यायालय आदेश देता है कि मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाए,

मध्यस्थता की शुरुआत और मध्यस्थता के बीच की अवधि

न्यायालय के आदेश की तारीख को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा

सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) द्वारा निर्धारित समय

कार्यवाहियों का प्रारंभ (मध्यस्थता सहित) इस प्रकार प्रस्तुत विवाद के संबंध में "।

12. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने अपने

अपने संबंधित मामलों में शामिल विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से जारी किए गए मुद्दे

और भी। चूँकि कुछ अपीलें आपूर्तिकर्ताओं और कुछ ई-खरीदारों द्वारा दायर की जाती हैं, सुविधा के लिए, विद्वान वकीलों को आपूर्तिकर्ताओं के लिए सलाहकार और आपूर्तिकर्ताओं के लिए वकील के रूप में भेजा जाएगा।

आर. एस. अपीलार्थियों या उत्तरदाताओं के वकीलों के बजाय।

संबंधित प्रस्तुतियों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

13. खरीदारों के लिए विद्वान वकीलों ने निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः

एम. एस. एम. ई. डी. की धारा 18 का गैर-बाध्यकारी भाग

((i)

अधिनियम, 2006 में 'समझौता' शामिल नहीं है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 16 में स्पष्ट रूप से किया गया है और इसलिए धारा 18 नहीं कर सकती है।

निष्पादित मध्यस्थता समझौते पर वरीयता लें

दलों के बीच।

((ख)

विधायिका का इरादा अनुबंधों का स्थान नहीं लेना है

पक्षों के बीच स्पष्ट है, जब खंड में "होगा" शब्द

16 धारा 18 में "मई" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

(iii)

धारा 18 (1) और 18 (4) में अनिवार्य खंड है,

जबकि धारा 18 (2), 18 (3) और 18 (5) में ऐसा अबाधित खंड नहीं है। इसलिए, धारा 18 (1) केवल देता है

विवाद के लिए किसी भी पक्ष के लिए एक विकल्प, और मजबूर नहीं करता है

सुविधा परिषद के लिए एक संदर्भ बनाने के लिए पार्टी।

इसी प्रकार, धारा 18 (4) अधिकारिता प्रदान करती है -

सुविधा परिषद अपने भीतर स्थित आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

भारत में कहीं भी स्थित अधिकार क्षेत्र और खरीदार।

आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत के अनुसार, अदालतें केसस ऑमिसस की आपूर्ति नहीं कर सकती हैं, यानी किसी क़ानून में चूक नहीं की जा सकती है

निर्माण द्वारा प्रदान किया गया। इस संबंध में शिव शक्ति सहकारी आवास के मामले में निर्णय पर निर्भरता रखी गई है। सोसायटी, नागपुर बनाम स्वराज डेवलपर्स और अन्य 3.

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 में कोई प्रावधान नहीं है।

आपूर्तिकर्ता का मूल अधिकार और यह केवल एक प्रक्रिया/तंत्र है जो अधिनियम के तहत उसके लिए सुविधा परिषद को विवाद के संबंध में संदर्भ देने के लिए उपलब्ध है। द. उक्त उपाय केवल तभी उपलब्ध होगा जब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान का प्रावधान करने वाले अनुबंध में कोई खंड न हो।

धारा 15,16 और 17, हालांकि मूल प्रकृति की हैं, धारा 18 प्रक्रियात्मक है, जो इस पर जाने का विकल्प प्रदान करती है। धारा के तहत बकाया की वसूली के लिए सुविधा परिषद

17 .

यह न केवल पार्टी की स्वायत्तता बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। मध्यस्थता समझौते के पक्षों के पास न केवल प्रक्रियात्मक कानून पर निर्णय लेने की स्वायत्तता होती है इसका पालन किया गया लेकिन मूल कानून का भी। इस संबंध में, भारत के मामले में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

एल्यूमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी

सर्विसेज एंड एंट्रिक्स कॉर्पोरेटन लिमिटेड बनाम देवास

मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड 'और अमेज़न। कॉम एन. वी.

इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एल. एल. सी. बनाम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड

अदालतों को समझौते को पढ़ना होगा क्योंकि यह है और नहीं हो सकता है। एक नया लिखें या बनाएँ। इस संबंध में, निर्भरता रखी गई है

उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम बनाम. नरसिंह च। नायक और अन्य और शिन उपग्रह

पब्लिक कं. लिमिटेड बनाम जैन स्टूडियो Ltd.8

सी659

सी648

सीसी 560

सी209

सीसी 261

एससीआर

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

चुनाव का सिद्धांत अनुमोदन की अवधारणा में अंतर्निहित है। और निंदा करते हैं। एक भाग का लाभ उठाते हुए बाकी भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी पार्टी को अनुमति नहीं दी जा सकती है

एक उपकरण का लाभ, उसी समय उस पर सवाल उठाते हुए

समय।

वैध है। हालाँकि, जब अनुबंध स्वयं मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाने वाले विवाद के बारे में उल्लेख करता है, तो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को लागू करने का कोई अवसर नहीं है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 80 में निहित बाधा को देखते हुए, सुविधा परिषद उसी विवाद पर सुलहकर्ता और मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।

2006 अधिनियम की धारा 18 अनुबंध पर हावी नहीं होती है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ को विवाद भेजने का प्रावधान करने वाले पक्षों के बीच समझौता किया गया। शिल्पी उद्योग आदि में इस न्यायालय के निर्णय पर आपूर्तिकर्ताओं के वकीलों द्वारा रखी गई निर्भरता। बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्र। मध्यस्थता पर एमएसएमईडी अधिनियम के प्रभाव के मुद्दे के संबंध में उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों के रूप में गलत है

अधिनियम, इनक्यूरियम के अनुसार थे।

आपूर्तिकर्ताओं के विद्वान सलाहकारों ने निम्नलिखित कार्य किए: 6 : -

धारा 18 का घोषित उद्देश्य और उद्देश्य धारा 17 के तहत आपूर्तिकर्ता के बकाया की वसूली के लिए एक लागत प्रभावी और त्वरित विवाद समाधान तंत्र बनाना है। धारा 18 किसी अनुबंध या अनुबंध के अधीन नहीं है।

पक्षों के बीच इसके विपरीत समझौता। यह देता है

पक्षकारों को अपने विवादों का निर्णय लेने का अधिकार

सुविधा परिषद से संपर्क करना, भले ही कोई हो

एनलाइन एससी 439 आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी.अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

संविदात्मक प्रावधान उस तरीके को निर्धारित करता है जिसके द्वारा पक्षों को अपने विवादों को हल करना था।

धारा 18 मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (4) के अनुरूप है क्योंकि धारा 18 (3) वैधानिक मध्यस्थता के संदर्भ को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 (1) के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता समझौते के रूप में मानती है और

इसलिए, एक बार लाभ उठाने के बाद, धारा 18 के तहत संदर्भ मध्यस्थता सहित किसी भी समझौते पर हावी हो जाएगा।

एमएसएमई के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए वैधानिक तंत्र स्थापित करके, उक्त अधिनियम मध्यस्थता अधिनियम 1996 के प्रावधानों को ओवरराइड करेगा। जो एक सामान्य कानून है।

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम 2006, धारा 15 से 23 के प्रावधान किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। इसके साथ उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित है।

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 पार्टी को एक

परिषद से संपर्क करने का वैधानिक अधिकार, और इस तरह के अधिकार को मध्यस्थता समझौते के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता है

दलों के बीच। एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) एक डीमिंग बनाता है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (4) के अनुरूप कल्पना, और यह निर्धारित करता है कि यदि सुलह सफल नहीं होती है और पक्ष मध्यस्थता की ओर बढ़ते हैं, तो मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान

तब विवाद पर लागू होगा जैसे कि मध्यस्थता उप में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी

अधिनियम की धारा 7 की धारा (1)। इसलिए, एक बार धारा 18 के तहत तंत्र शुरू हो जाने के बाद, यह मध्यस्थता करने के लिए पक्षों के बीच किसी भी समझौते को ओवरराइड करेगा। इस संबंध में, इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।

सिक्योर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में। बनाम गोदरेज एंड बॉयस

एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड और ए. एन. आर. 0।

सी 447।

(vi) एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 एक विशेष क़ानून होने के कारण

मध्यस्थता अधिनियम, 1996, जो कि एक सामान्य कानून है, पर प्रबल है। भले ही मध्यस्थता अधिनियम को भी एक विशेष क़ानून के रूप में माना जाता है, फिर भी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 प्रबल रहेगा, क्योंकि किसी भी संघर्ष के मामले में बाद में अधिनियमित एक विशेष क़ानून प्रचलित है। इस संबंध में, निर्भरता रखी गई है सॉलिडेयर इंडिया लिमिटेड का मामला। बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल

सर्विसेज लिमिटेड और अन्य 1 और मारुति उद्योग लिमिटेड। बनाम राम लाल और अन्य 1 2

15. एम. एस. ई. सुविधा परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अध्येताओं के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के बारे में आगे निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं: -

((i)

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 से 19 आपस में जुड़ी हुई हैं।

और एक दूसरे पर निर्भर, जो अधिनियम के तहत एक विशेष योजना निर्धारित करते हैं। उक्त प्रावधानों का एक संचयी प्रभाव स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थता समझौते पर हावी होगा।

स्वतंत्र रूप से दलों के बीच प्रवेश किया।

धारा 18 एक मूल कानून है न कि एक प्रक्रियात्मक कानून।

((ख)

यह समाधान के लिए एम. एस. ई. पर अधिकार और उपाय प्रदान करता है।

विवादों से।

(iii)

लाभप्रद या कल्याणकारी कानूनों को उदार और उदार बनाया जाना चाहिए।

सख्त व्याख्या नहीं। यदि लाभकारी कानून में उपयोग किए गए शब्द दो निर्माण करने में सक्षम हैं, तो एक जो अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप है, और उन व्यक्तियों के लाभ के लिए व्याख्या, जिनके लिए अधिनियम बनाया गया है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में, भारत संघ बनाम प्रभाकरण विजय कुमार और अन्य 1 के मामले में और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। बनाम हूगली मिल्स

कं. लिमिटेड 14.

16. अब, इन अपीलों में शामिल पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है -

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के अध्याय 5 में निहित प्रावधान,

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान के संबंध में

1) 3 एससीसी 71

8) 9 एस. सी. सी. 517

2) 2 एस. सी. सी. 489 गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी.

महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निहित प्रावधानों पर वरीयता होगी, विशेष रूप से जब पक्षकार एक

मध्यस्थता की धारा 7 में विचार के अनुसार स्वतंत्र समझौता

अधिनियम के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने पर सहमति हुई थी। उन्हें? दूसरे शब्दों में, क्या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अध्याय 5 में निहित प्रावधानों का प्रभाव मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निहित प्रावधानों पर हावी होगा?

17. यह कहना तुच्छ है कि विशेष क़ानून के प्रावधान सामान्य क़ानून के प्रावधानों पर हावी होंगे। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि

दूसरे क़ानून पर हावी क़ानून के प्रभाव का निर्धारण करते समय, दोनों क़ानूनों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति और स्पष्ट इरादा

उसमें प्रासंगिक प्रावधानों की भाषा द्वारा व्यक्त किया जाना प्रासंगिक विचार होगा। यह न्यायालय आयकर आयुक्त, पटियाला वी. शाहजादा नंद एंड संस ने निर्माण के मौलिक नियम का उल्लेख करते हुए कहा था कि किसी क़ानून का अर्थ और इरादा उसमें उपयोग की गई स्पष्ट और स्पष्ट अभिव्यक्ति से एकत्र किया जाना चाहिए, न कि किसी भी धारणा से जो अदालत द्वारा इस बारे में विचार किया जा सकता है कि क्या उचित और समीचीन है। 18. हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में से एक लैटिन उक्ति "लेजेस पोस्टरियर्स प्रायोरस" में निहित है।

विरोध निरसन "(बाद के कानून पहले के विपरीत कानूनों को निरस्त कर देंगे)। निर्माण का एक अन्य प्रासंगिक नियम उक्ति "सामान्य विशेषज्ञता गैर अपमानजनक" (सामान्य कानून विशेष कानूनों पर प्रबल नहीं होते हैं) में निहित है। जब दो कानूनों के बीच स्पष्ट संघर्ष होता है, तो एक सामान्य क़ानून के प्रावधान एक विशेष क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।

19. जैसा कि कौशल्या रानी बनाम गोपाल सिंह में देखा गया है, एक "विशेष"

20. वैधानिक व्याख्याओं के वन आधारित सिद्धांतों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए निर्माण के सामान्य नियमों के संबंध में, आइए हम यह जांचने के लिए आगे बढ़ें कि क्या एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 एक विशेष अधिनियम है जिसका प्रभाव मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर पड़ता है, जिसे एक सामान्य अधिनियम माना जाता है? जैसा कि पहले कहा गया है, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य,

15 आकाशवाणी 1966 एससी 1342

16 आकाशवाणी 1964 एससी 260 [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 में निहित धारा 15 से 25 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान से संबंधित है। 'ए. अध्याय-5 में निहित उक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए खरीदार पर एक सख्त दायित्व निर्धारित किया गया है

जो धारा 15 में समय सीमा निर्धारित करते हुए खरीदार को किसी भी वस्तु की आपूर्ति करता है या कोई सेवा प्रदान करता है। धारा 16 खरीदार पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को और तेज करती है यदि कोई खरीदार धारा 15 के तहत आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है। इस तरह के चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर किया जाना आवश्यक है, इसके बावजूद कि खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी समझौते में या उस समय लागू किसी भी कानून में निहित है। धारा 16 के तहत प्रदान किए गए ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने का दायित्व खरीदार पर डाल दिया गया है और धारा 17 में आपूर्तिकर्ता को ऐसा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार, धारा 17 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत किसी भी विवाद का उद्दीपन बिंदु है। धारा 18

धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में विवाद के पक्ष को सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को संदर्भित करने में सक्षम बनाने के लिए तंत्र प्रदान करता है।

22. धारा 18 एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होती है, अर्थात 'उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद'। इसका मतलब है

कि उक्त प्रावधान को उस समय लागू अन्य कानूनों का स्थान लेने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा एक समर्पित वैधानिक मंच अर्थात,

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 20 के तहत स्थापित किया गया है) का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए किसी भी पक्ष द्वारा विवाद का संदर्भ दिया जा सकता है। उप-धारा (2)

गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी.

महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

धारा 18 सुविधा परिषद को ऐसी प्राप्ति पर अधिकार देती है

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौता। धारा 18 की उप-धारा (4) फिर से एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होती है, अर्थात 'कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद', और इस पर अधिकारिता प्रदान करती है - सुविधा परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आपूर्तिकर्ता और भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के बीच विवाद में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करेगी। धारा 18 की उप-धारा (5) इस तरह के संदर्भ पर निर्णय लेने के लिए नब्बे दिनों की समय सीमा निर्धारित करती है। धारा 19 परिषद द्वारा या किसी संस्था या केंद्र द्वारा किए गए किसी डिक्री, पुरस्कार या अन्य आदेश को दरकिनार करने के लिए अदालत में कोई आवेदन किए जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 24 में कहा गया है कि धारा 15 से 23 के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

23. उद्देश्य, इरादे और उद्देश्यों के साथ-साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की योजना को ध्यान में रखते हुए और असंदिग्ध को ध्यान में रखते हुए इसके अध्याय-5 में उपयोग की गई अभिव्यक्तियाँ निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ प्रकट करती हैं:

((i)

अध्याय-V "पार्टी-विशिष्ट" है, जितना कि पार्टी यानी।

धारा 2 (घ) और 2 (न) में क्रमशः परिभाषित 'क्रेता' और 'आपूर्तिकर्ता' उक्त अध्याय के अंतर्गत आते हैं।

((ख)

खरीदार पर एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई वस्तुओं या खरीदार को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में देय राशि का भुगतान करने के साथ-साथ रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व भी, यदि खरीदार

निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा गया दायित्व पक्षों के बीच किसी भी समझौते या समय के लिए किसी भी कानून के बावजूद है।

बल में होना।

(iii)

एक समर्पित वैधानिक मंच अर्थात सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद किसी भी पक्ष को किसी भी देय राशि के संबंध में विवाद में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाती है।

धारा 17, ऐसी परिषद को संदर्भित करने के लिए।

((iv) पालन करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

किसी भी पक्ष द्वारा विवाद के लिए संदर्भ दिए जाने के बाद सुविधा परिषद द्वारा।

(v)

सुविधा परिषद या वैकल्पिक प्रदान करने वाले केंद्र

विवाद समाधान सेवाओं को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है

धारा 18 (4), उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद में।

(vi) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान किए गए हैं।

सुलह शुरू होने के बाद ही विवाद पर लागू होता है

उप-धारा (2) के तहत सफल नहीं होता है और पक्षों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाता है।

(vii) धारा 18 की उप-धारा (1) और उप-धारा (4) का प्रभाव दूसरे खंडों पर हावी होता है।

उस समय लागू कानून।

(viii) धारा 24 के अनुसार, धारा 15 से 23 के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होते हैं।

24. उपरोक्त स्थिति के विपरीत, यदि उद्देश्य, उद्देश्य और योजना ई-मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर विचार किया जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो अधिनियम को स्थायी मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय

वाणिज्यिक मध्यस्थता और प्रवर्तन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

मध्यस्थता पुरस्कारों का शासन करना और संबंधित कानून को परिभाषित करना

अपमान। इसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों में एक मध्यस्थ प्रक्रिया का प्रावधान करना था जो निष्पक्ष, कुशल और विशिष्ट लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी।

मध्यस्थ गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना।

वी.

महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अधिनियम, 2006 जो विशेष रूप से अधिनियम की धारा 15 से 23 के प्रावधानों को उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर प्रभाव डालता है, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 भी शामिल होगा। 26. न्यायालय धारा 18 की उप-धारा (1) और उप-धारा (4) में निहित विशिष्ट अबाधित खंडों की दृष्टि भी नहीं खो सकता है, जिनका प्रभाव कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून पर हावी होता है।

बल देते हैं। जब 2006 में एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 लागू किया जा रहा था, 17 भारत सेवा संस्थान बनाम यू. पी. इलेक्ट्रॉनिक्स निगम; ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2961।

और इसलिए, यह माना जाता है कि विधायिका ने जानबूझकर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विवादों पर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू किया था, जब सुलह प्रक्रिया चल रही थी। एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत शुरू की गई पहल विफल हो जाती है और जब सुविधा परिषद स्वयं मध्यस्थता के लिए विवादों को उठाती है या इस तरह के मध्यस्थता के लिए किसी संस्थान या केंद्र को संदर्भित करती है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 18 (3) में 'जैसे' अभिव्यक्ति का उपयोग करने के उद्देश्य से एक कानूनी कल्पना बनाई गई है।

ऐसा मध्यस्थता मानो वह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में हो। जैसा कि के. प्रभाकरण बनाम में माना गया है। पी. जयराजन 1 8, एक कानूनी कथा तथ्यों की स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाता है जो मौजूद नहीं हो सकते हैं और फिर उन परिणामों का पता लगाते हैं जो तथ्यों की उस स्थिति से निकलते हैं। इस प्रकार, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के समग्र उद्देश्य, उद्देश्यों और योजना और उसमें उपयोग की गई स्पष्ट अभिव्यक्तियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 के प्रावधानों का प्रभाव मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर हावी है।

27. खरीदारों के वकील की ओर से की गई दलीलें कि धारा 18 की उप-धारा (1) में "समझौता" शब्द को जानबूझकर छोड़ दिया गया है, जिसका अन्यथा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 में उल्लेख किया गया है, इसका तात्पर्य है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 के तहत विचार किए गए पक्षों के बीच स्वतंत्र रूप से किए गए मध्यस्थता समझौते को भी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित करने का इरादा नहीं था। पक्षों के बीच एक निजी समझौता वैधानिक प्रावधानों को समाप्त नहीं कर सकता है। एक बार उप-धारा के तहत वैधानिक तंत्र

(1) धारा 18 का उद्दीपन किसी भी पक्ष द्वारा किया जाता है, यह धारा 18 की उप-धारा (1) और उप-धारा (4) में निहित बाधा खंडों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच स्वतंत्र रूप से किए गए किसी भी अन्य समझौते को ओवरराइड करेगा। एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 24 में अनुध्यात 15 से 23 तक के प्रावधानों का भी प्रबल प्रभाव है, जब कुछ भी असंगत उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित है। यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी कानून की व्याख्या करते समय, यदि दो व्याख्याएं संभव हैं, तो अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ाने वाली व्याख्या को उस व्याख्या की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उद्देश्य को विफल कर दे।

18 (2005) 1 एस. सी. सी. 754 गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी.

महाकाली भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अधिनियम से। यदि खरीदारों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले विवाद का पक्ष एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (1) के तहत उपलब्ध उपचार का लाभ नहीं उठा सकता है, जब पक्षों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 को लागू करने का उद्देश्य ही निराश हो जाएगा। 28. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर कोई असहमति नहीं हो सकती है, जिस पर खरीदारों के लिए विद्वान वकील ने भरोसा किया कि न्यायालय को समझौते को पढ़ना होगा क्योंकि यह है

और फिर से नहीं लिख सकते हैं या एक नया नहीं बना सकते हैं, और यह कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों को न केवल प्रक्रियात्मक कानून पर निर्णय लेने की स्वायत्तता है

लेकिन मूल कानून पर भी, यह समान रूप से स्थापित कानूनी स्थिति है कि पक्षों के बीच किए गए किसी भी समझौते को वैधानिक प्रावधानों पर प्रधानता नहीं दी जा सकती है। जब सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं को समय पर और सुचारू भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिनियम यानी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 बनाया गया है।

उद्यम, और अधिनियम के तहत पक्षों के बीच बकाया की वसूली के संबंध में विवाद को हल करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना, साथ ही उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर उक्त कानून को एक प्रमुख प्रभाव प्रदान करना, इसके अपमान में कोई भी व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगी। इसलिए यह निवेदन कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत पक्षों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता किया गया है, के वैधानिक प्रावधानों पर हावी होगा

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप-धारा (1) एक सक्षम प्रावधान है जो पक्षकारों के बीच एक मध्यस्थता समझौते के बावजूद, सुविधा परिषद से संपर्क करने का विकल्प प्रदान करता है। उक्त प्रावधान में 'समझौता' शब्द की अनुपस्थिति को न तो कानून में आकस्मिक चूक के रूप में माना जा सकता है और न ही इसे सुविधा परिषद से संपर्क करने के लिए धारा 17 के तहत आने वाले विवाद के लिए पक्षकार के खिलाफ एक पूर्व निष्कर्ष के रूप में माना जा सकता है, इस आधार पर कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। वास्तव में, यह उक्त के तहत पार्टी के पक्ष में बनाया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है प्रावधान। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 17 के तहत आने वाले विवाद के किसी भी पक्ष को उसकी धारा 18 (1) के तहत सुविधा परिषद को संदर्भित करने से केवल इसलिए रोका नहीं जाएगा क्योंकि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है।

29. उपरोक्त कानूनी स्थिति भी तर्कों को खारिज करती है।

खरीदारों की ओर से परामर्श दिया गया कि सुविधा [2022] 19 एस. सी. आर.

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (2) के तहत सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने वाली परिषद स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद को नहीं ले सकती है और मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 80 में एक बाधा है कि सुलहकर्ता किसी विवाद के संबंध में किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा जो सुलह कार्यवाही का विषय है, उक्त बाधा को निहित प्रावधानों द्वारा हटा दिया जाता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 24 के साथ पठित धारा 18 में। जैसा कि पहले कहा गया था, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के अध्याय-5 में निहित प्रावधानों का प्रभाव मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर हावी है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान सुविधा परिषद द्वारा धारा 18 (2) के तहत शुरू की गई सुलह की प्रक्रिया विफल होने के बाद ही सुविधा परिषद द्वारा संचालित कार्यवाही पर लागू होंगे और परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए लेती है या इसे किसी भी संस्थान या केंद्र को ऐसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित करती है जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत विचार किया गया है।

30. जब सुविधा परिषद या संस्था या केंद्र एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो उसके पास विवादों को तय करने की सभी शक्तियां होंगी।

अधिनियम, 1996 और फिर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के सभी उपबंध ऐसे मध्यस्थता पर लागू होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने वाली ऐसी सुविधा परिषद/संस्था/केंद्र भी सक्षम होगी। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत नियुक्त किसी भी अन्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण की तरह अपनी स्वयं की अधिकारिता पर शासन करने के लिए, जैसा कि इसकी धारा 16 में विचार किया गया है।

31. एल. डी. द्वारा की गई प्रस्तुतियों में से एक। खरीदारों के लिए वकील यह था कि यदि पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध की तारीख को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2 (एन) के अर्थ के भीतर पक्षकार आपूर्तिकर्ता "आपूर्तिकर्ता" नहीं था, तो वह ऐसा नहीं कर सकता था

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (1) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को विवाद का संदर्भ और ऐसे मामलों में, परिषद के पास विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

मध्यस्थ।

32. इस मोड़ पर, इस मुद्दे पर शिल्पी इंडस्ट्रीज मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा की गई एक बहुत ही प्रासंगिक टिप्पणियों की आवश्यकता है -

पुनरुत्पादितः -

" 26. ..... हमारे विचार में, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत प्रावधानों का लाभ लेने के लिए, विक्रेता को गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

वी. अकाली फूड पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अधिनियम के अनुसार, अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख को। किसी भी स्थिति में, एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इकाई के पंजीकरण से पहले किए गए अनुबंध के अनुसार आपूर्ति के लिए, ऐसी संस्था द्वारा कोई लाभ नहीं मांगा जा सकता है, जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत विचार किया गया है। लघु और सहायक उद्योगों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए

उपक्रम अधिनियम, 1993, यह न्यायालय, शांति कंडक्टर प्राइवेट के मामले में निर्णय में। लिमिटेड वी. असम राज्य बिजली

बोर्ड ने अभिनिर्धारित किया है कि उपरोक्त अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति की तारीख को संबंधित तिथि के रूप में लिया जा सकता है, उस तारीख के विपरीत जिस दिन आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था। यहां तक कि

उक्त अनुपात को भी लागू करते हुए, अपीलार्थी यह माँगने का हकदार नहीं है कि

अधिनियम का लाभ।

..... अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत ज्ञापन दाखिल करने का सहारा लेकर, माल और सेवाओं के अनुबंध और आपूर्ति में प्रवेश करने के बाद, कोई व्यक्ति एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत वर्गीकृत होने की कानूनी स्थिति को मान नहीं सकता है।

उद्यम, उस तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लाभ का दावा करना जिस दिन अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ अनुबंध किया था। माल और सेवाओं के अनुबंध और आपूर्ति में प्रवेश करने के बाद पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करके, अपीलकर्ता एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अर्थ के भीतर लाभों का दावा करने के लिए सूक्ष्म या लघु उद्यम या आपूर्तिकर्ता नहीं बन सकता है। यदि कोई पंजीकरण प्राप्त किया जाता है, तो यह संभावित होगा और पंजीकरण के बाद वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लागू होगा, लेकिन पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकता है। प्रावधान की कोई भी अन्य व्याख्या बेतुकी होगी और अनुचित लाभ प्रदान करेगी।

एक पार्टी के पक्ष में जो कानून द्वारा अभिप्रेत नहीं है।

2006 माल के अनुबंध और आपूर्ति या सेवाओं को प्रदान करने में बाद में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करके। एनवाई पंजीकरण, बाद में प्राप्त किया जाता है, उसी में होगासीटी संभावित रूप से और माल की आपूर्ति और प्रतिपादन के लिए आवेदन करेगा

पंजीकरण के बाद की बुराइयाँ। वही [2022] 19 एस. सी. आर. का संचालन नहीं कर सकता है।

सकारात्मक रूप से। हालांकि, इस तरह का मुद्दा अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, अगर उठाया जाता है तो इसका फैसला सुविधा परिषद/संस्थान/केंद्र द्वारा भी किया जाता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण।

34. उपरोक्त का परिणाम यह हैः

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 का अध्याय-5 इस पर हावी होगा -

((i)

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधान। किसी भी देय राशि के संबंध में विवाद का कोई पक्ष नहीं

((ख)

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 17 को हटा दिया जाएगा।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद का संदर्भ देने से, हालांकि एक स्वतंत्र मध्यस्थता

पक्षों के बीच समझौता होता है।

(iii)

सुविधा परिषद, जिसने सुलह की शुरुआत की थी

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (2) के तहत कार्यवाही

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 80 में निहित बाधा के बावजूद मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का हकदार होगा।

(iv) सुविधा परिषद/संस्थान/के समक्ष कार्यवाही।

एक मध्यस्थ/मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने वाला केंद्र

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) द्वारा शासित होगी

मध्यस्थता अधिनियम, 1996।

(v)

मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाली सुविधा परिषद/संस्थान/केंद्र

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के आधार पर न्यायाधिकरण मध्यस्थता की धारा 16 को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी निर्णय लेने में सक्षम होगा।

अधिनियम, 1996।

(vi) एक पक्ष जो परिभाषा के अनुसार 'आपूर्तिकर्ता' नहीं था

अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2 (एन) में निहित एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में कोई लाभ नहीं ले सकता है। अगर कोई पंजीकरण बाद में प्राप्त किया जाता है, इसका प्रभाव संभावित रूप से होगा और यह पंजीकरण के बाद माल की आपूर्ति और सेवाओं को प्रदान करने पर लागू होगा।

35. यद्यपि पूर्व में बताई गई चर्चाओं और निष्कर्षों में अपीलों में शामिल सभी विषयों को शामिल किया गया है, लेकिन प्रत्येक पर विचार करना उचित होगा।

व्यक्तिगत रूप से अपील करें।

आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

2022 की सी. ए. संख्या (@एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 12884 की

2020)

(i) इस मामले में, गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति

निगम लिमिटेड ने दिए गए पुरस्कार को चुनौती दी थी

सुविधा परिषद, भोपाल वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष,

1996 और वाणिज्यिक अदालत के आदेश दिनांक 20.08.2018 ने उक्त पुरस्कार की पुष्टि की थी। अपील एफ. ए. है। नं. 3613/2019 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलार्थी-गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दायर,

1996 गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष खारिज कर दिया गया था

उच्च न्यायालय ने दिनांकित 13.11.2019 के विवादित आदेश को देखा।

((ख) उक्त प्रथम अपील में, अपीलार्थी ने यह मुद्दा उठाया था -

सुविधा के अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दा

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए परिषद, भोपाल, एम. पी. नं. 1-महाकाली फूड्स प्रा. लि.

प्रधान न्यायाधीश में अपने पहले के फैसले के बाद उच्च न्यायालय

मुख्य अभियंता बनाम एम/एस। मणिभाई एंड ब्रदर्स (स्लीपर) और ए. एन. आर. 1 9 ने कहा कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 सहित तत्काल प्रभाव वाले किसी भी अन्य कानून पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि के संबंध में विवाद

दाखिल करने के समय अधिकार क्षेत्र नहीं उठाया गया है

बचाव या जवाब का कथन, उक्त विवाद उठाया गया

बाद में इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

(iii) जैसा कि इस निर्णय के पूर्व भाग में पहले ही कहा जा चुका है, एमएसएमईडी अधिनियम के अध्याय-V में निहित प्रावधान,

2006 मध्यस्थता अधिनियम सहित तत्काल लागू किसी भी अन्य कानून पर प्रभाव डालता है। इसलिए हम पारित किए गए विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय।

तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

2018 की सिविल अपील संख्या 127

(i) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दायर यह अपील दिनांकित विवादित आदेश को चुनौती देती है।

यूजे 151 [2022] 19 एस.

सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

27.06.2017 बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में उच्च न्यायालय द्वारा 2011 की रिट याचिका संख्या 4435 में पारित इस मुद्दे में यह भी शामिल है कि क्या प्रतिवादी सुविधा परिषद को वर्तमान अपीलार्थी-मेसर्स द्वारा दायर मूल आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था। रामकृष्ण

इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत। उच्च न्यायालय मेसर्स के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा रखता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण और ए. एन. आर. बनाम एम. एस. ई. सुविधा परिषद (ऊपर) ने

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सुविधा परिषद पक्षों के बीच मौजूद स्वतंत्र समझौते को देखते हुए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने का हकदार नहीं होगी।

((ii) उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को हमारे द्वारा इस आशय के पूर्वगामी निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए कि सुविधा परिषद के पास धारा 17 के तहत आने वाले विवाद के संबंध में पक्ष द्वारा दिए गए संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र होगा। पक्षों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बावजूद एमएसएमईडी अधिनियम, 2006।

अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

2013 की सिविल अपील संख्या 6167

(i) वर्तमान अपील बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 21.08.2010 के फैसले से उत्पन्न हो रही है।

न्यायालय, नागपुर पीठ। उक्त मामले में, वर्तमान अपीलार्थी (मूल प्रत्यर्थी संख्या 2) ने एक अनुबंध के तहत प्रत्यर्थी मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ वस्तुओं की आपूर्ति की थी। हालाँकि, पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए, और इसलिए अपीलार्थी ने समझौते में निहित एक मध्यस्थता खंड-22 का आह्वान किया और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए न्यायमूर्ति सी. पी. सेन (सेवानिवृत्त) को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। तथापि, प्रत्यर्थी इस्पात प्राधिकरण, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 23 का आह्वान करते हुए

श्री एस. के. गुलाटी को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। ने कहा कि

मध्यस्थ ने पक्षों को अपने-अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए। मेसर्स विदर्भ सेरामिक्स ने मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर करने के बजाय, आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुद्दा उठाया।

वी. अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत सुविधा परिषद के समक्ष निर्देश। प्रत्यर्थी इस्पात प्राधिकरण ने सुविधा परिषद के समक्ष आपत्तियां दायर करते हुए तर्क दिया कि पक्षों के बीच मौजूद मध्यस्थता समझौते को देखते हुए इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद प्रत्यर्थी इस्पात प्राधिकरण ने परिषद को संदर्भ पर विचार करने से रोकने के लिए रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.08.2010 के विवादित आदेश के माध्यम से उक्त अनुमति दी रिट याचिका में कहा गया है कि एमएसएमईडी सुविधा परिषद एक स्वतंत्र मध्यस्थता समझौते को देखते हुए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) में निहित प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने का हकदार नहीं है।

दलों के बीच प्रवेश किया।

(ii) हमारे द्वारा की गई विस्तृत चर्चा और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह मानते हुए कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 का अध्याय-V मध्यस्थता अधिनियम 1996 में निहित प्रावधानों पर एक प्रमुख प्रभाव डालता है, सुविधा परिषद आगे बढ़ने का हकदार होगा।

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (1) के तहत पक्ष (आपूर्तिकर्ता) द्वारा दिए गए संदर्भ के साथ

खारिज किए जाने के योग्य है और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है। 2022 का सी. ए. (2018 का @एस. एल. पी. (सी) सं. 31227

(i) इस अपील में, अपीलकर्ता गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड (मूल याचिकाकर्ता) ने दिनांकित आदेश को चुनौती दी है।

06.08.2018 बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित, जिसके द्वारा

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सुविधा परिषद को दिया गया संदर्भ [2022] 19 एस. सी. आर. के बावजूद बनाए रखने योग्य था।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

स्वतंत्र मध्यस्थता समझौता। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सुविधा परिषद ने खुद सुलह की कार्यवाही का संचालन किया है, इसलिए वह एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का निर्णय नहीं ले सकती है।

((ii) तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी सं। 1 अर्थात्, क्रुणाल वर्क्स (मूल प्रतिवादी संख्या 3) ने धारा 18 लागू की थी।

(1) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद से संपर्क करके एमएसएमईडी अधिनियम, 2006। उक्त संदर्भ में, अपीलार्थी जी. एस. पी. एल. ने सुविधा परिषद के अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति जताई थी -

पक्षों के बीच मौजूद मध्यस्थता समझौते को ध्यान में रखते हुए संदर्भ पर विचार करें। सुविधा परिषद ने पक्षों के बीच सुलह की कार्यवाही शुरू की थी,

हालाँकि वही विफल होने के बाद, परिषद ने 29.04.2015 दिनांकित आदेश के अनुसार, विवाद को उठाने का फैसला किया मध्यस्थता। उक्त आदेश को जी. एस. पी. एल. ने बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

(iii) हमारे विचार में, दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है और यह मानते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि -

((iv) उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश, इसलिए इस हद तक कि यह निष्कर्ष दर्ज करता है कि - सुविधा परिषद एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत स्वयं मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का निर्णय नहीं ले सकती थी और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

तदनुसार अलग रखें।

(v) सुविधा परिषद के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

2022 का सी. ए. (2020 का @एस. एल. पी. (सी) संख्या 7375)

(i) उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20.01.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील निर्देशित की जाती है।

बॉम्बे में, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं (मूल रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित पक्ष को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार इसे चुनौती देनी होगी। उक्त मामले में, वर्तमान प्रतिवादी नं। 1 आईबीईएक्स एकीकृत व्यवसाय

एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (मूल उत्तरदाता सं। 1 - आपूर्तिकर्ता) ने वसूली के लिए सुविधा परिषद से संपर्क किया था

अपीलार्थियों के विरुद्ध उसका बकाया। अपीलार्थी परिषद के समक्ष पेश हुए और प्रारंभिक आपत्ति जताई

इस आधार पर संदर्भ की रखरखाव के संबंध में कि मध्यस्थता खंड में निहित था

पक्षों के बीच निष्पादित समझौता।

उक्त पुरस्कार के साथ-साथ सुविधा परिषद द्वारा पारित 20.12.2014 दिनांकित पूर्व आदेश, अपीलकर्ताओं ने संपर्क किया दो रिट याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश देते हुए दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया

कि जब सुविधा परिषद ने संचालन किया था मध्यस्थता कार्यवाही और एक पुरस्कार पारित किया, उपाय

व्यथित पक्षकार को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 का सहारा लेना होगा।

(iii) जैसा कि पहले कहा गया था, मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाली सुविधा परिषद/संस्थान/केंद्र के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होती है और इसलिए कोई भी आदेश पारित किया जाता है। या ऐसी परिषद/संस्थान/केंद्र द्वारा दिए गए पुरस्कार को मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार चुनौती दी जानी चाहिए। इसलिए अपील खारिज की जानी चाहिए और खारिज कर दी जानी चाहिए।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

2022 की सी. ए. संख्या (2021 की @एस. एल. पी. (सी) संख्या 2135)

(i) भारत संघ द्वारा दायर अपील का निर्देश दिया जाता है।

2019 के एल. पी. ए. सं. 42 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.08.2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध। जहाँ तक अपील के तथ्यों का संबंध है-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने सभी यू. टी. एस., पी. आर. एस. और यू. टी. एस.-सह-पी. आर. एस. स्थानों पर सभी उपकरणों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक समझौता किया था। और मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (सीसीएम)/यात्री विपणन (पीएम)/पूर्वी रेलवे के नियंत्रण में स्थान पर सभी उपकरण। जब पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, तो प्रतिवादी ने समझौते वाले मध्यस्थता खंड को लागू करने के बजाय, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद से संपर्क किया। सुलह प्रक्रिया विफल हो गई है, शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुविधा परिषद

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत प्रदत्त, दोनों पक्षों के बीच विवाद को दिल्ली को भेजा गया।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 2273 के रूप में रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त आदेश किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना था, और यहाँ तक कि

लिखत और इसलिए, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के प्रावधान इसके बावजूद लागू होंगे। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 के संदर्भ में मध्यस्थता समझौता। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसने दिनांक 1 के विवादित आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया था। पीड़ित अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी है।

आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

((ii) निर्णय के पूर्व भाग में हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय

उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थता खंड के बावजूद

पक्षों के बीच समझौता, यदि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 उन पर लागू होता है, तो सुविधा परिषद के पास धारा 18 (3) के तहत या तो मामले को स्वयं मध्यस्थता के लिए लेने या मामले को किसी भी संस्था या केंद्र को वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधिकार है।

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 18 (3) के तहत भेजे गए विवादों के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा। विवादों का निर्णय करना जैसे कि ऐसा मध्यस्थता अनुसरण में था

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 7 (1) के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते का और तदनुसार

अपनी अधिकारिता पर शासन करने की अधिकारिता। मामले के उस दृष्टिकोण में, वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार, खारिज कर दी जाती है।

2022 की सी. ए. संख्या (2021 की @एस. एल. पी. (सी) संख्या 6166)

(i) अपील दिनांकित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

सुविधा परिषद, और सुलह प्रक्रिया पर असफल होने पर, सुविधा परिषद के पास पक्षकारों के बीच विवादों को प्रतिवादी संख्या 3 को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

गुजरात चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

((ii) व्यापक रूप से मामले के तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि -

अपीलार्थी-जे. आई. टी. एफ. वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसने प्रवेश किया था प्रत्यर्थी संख्या 2-एम/एस से युक्त संयुक्त उद्यम के साथ समझौता। एक्वाफिल पॉलिमर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एक विनटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक के संबंध में लिमिटेड

गुवाहाटी [2022] 19 एस. सी. आर. के तहत अपीलार्थी के पक्ष में जारी आदेश।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जल आपूर्ति परियोजना। संयुक्त उद्यम ने समझौते के अनुसार अपना काम नहीं किया और इसलिए, अपीलार्थी ने दिनांक 08.01.2018 के नोटिस द्वारा अनुबंध को समाप्त कर दिया। समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को देखते हुए,

संयुक्त उद्यम ने दिनांकित 08.02.2018 पत्र के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम का प्रस्ताव रखा। उक्त पत्र के जवाब में, अपीलार्थी ने दिनांकित 14.02.2018 पत्र के माध्यम से जवाब दिया कि मध्यस्थता के प्रासंगिक खंड के अनुसार, केवल अपीलार्थी को मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है और ऐसा अधिकार संयुक्त उद्यम के लिए उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। ने कहा कि

अपीलार्थी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने पक्षों को प्रारंभिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया, और उस स्तर पर, उत्तरदाता नं। 2 , अर्थात। , संयुक्त उद्यम के घटक ने प्रतिवादी संख्या 1-सुविधा के समक्ष एक आवेदन दायर किया

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को लागू करने वाली परिषद। प्रत्यर्थी संख्या 1-सुविधा परिषद ने सुलह की प्रक्रिया शुरू की, हालांकि, वही विफल होने के बाद,

((iii) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उठाए गए मुद्दे और प्रस्तुतियाँ - एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 का मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर अधिमानी प्रभाव, सुविधा परिषद के अधिकार क्षेत्र में, पक्षों को एक समझौते में प्रवेश करने की स्वायत्तता

वैधानिक प्रावधानों, कार्यकारण आदि के मुद्दे पर चर्चा की गई है और ऊपर निर्णय लिया गया है जिन्हें दोहराने या दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सुविधा परिषद को दिया गया निर्देश आर. ए. टी. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा।

वी.अली फूड्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (यूनिट 2) [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत आगे बढ़ने का हकदार होगा और साथ ही संस्था या केंद्र को विवादों को संदर्भित करने के लिए मध्यस्थ सी के रूप में कार्य करने का भी हकदार होगा। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 18 (3) के तहत विचार किया गया। जैसा कि पहले कहा गया था, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने वाली ऐसी सुविधा परिषद/संस्थान केंद्र के पास होगा

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की अधिकारिता। मैट के उस दृष्टिकोण में वर्तमान अपील भी खारिज होने के योग्य है और मैं तदनुसार खारिज कर देता हूं।

उपरोक्त परिसर, (आई)

2022 की सी. ए. संख्या (@एस. एल. पी. (सी) संख्या 12884 सी.

2020) बर्खास्त कर दिया जाता है,

C.A.No। 2018 के 127 की अनुमति है,

(II)

(III)

2013 की सी. ए. संख्या 6167 की अनुमति है,

(IV)

2022 की सी. ए. संख्या (@एस. एल. पी. (सी) संख्या 31227

2018) निकाल दिया जाता है, 2022 की सी. ए. संख्या (@एस. एल. पी. (सी) संख्या। 7375 सी

(वी)

2020) बर्खास्त कर दिया जाता है,

(VI)

2022 की सी. ए. संख्या (@एस. एल. पी. (सी) संख्या। 2135

2021) बर्खास्त किया जाता है और

(VII) 2022 की सी. ए. संख्या (@एस. एल. पी. (सी) संख्या। 6166 सी

2021) बर्खास्त कर दिया जाता है।

याचिकाओं का निपटारा

प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)